छत्तीसगढ़ शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग,
''मंत्रालय''
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक **FINACC/9402/2026-OBC&M** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **03–11–2026**

प्रति,

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषयः– **"CG-Assitance for Competitive Examination (CG-ACE)"** योजना वर्ष 2026 (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) के क्रियान्वयन के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बैकिंग/रेल्वे/एस.एस.सी. एवं समकक्ष तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी/प्रशिक्षण कराने हेतु ''**CG-Assitance for Competitive Examination (CG-ACE)**'' नियमावली जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/ उक्त नियमावली पर वित्त विभाग की नस्ती क्रमांक **FINACC-3602/2084/2026-FINANCE** पर टीप दिनांक **02.11.2026** के द्वारा सहमति प्रदान किया गया है।

2/ अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से विभाग का अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

Digitally signed by
KRISHNA PRASAD NETAM
Date: 03-11-2026
12:13:51

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वि.वि.

पृ.क्र. **FINACC/9402/2026-OBC&M** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **3–11–2026**

प्रतिलिपिः–

1. **प्रमुख सचिव**, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
2. **विशेष सहायक**, मान. मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
3. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी**, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
4. **सचिव**, छ.ग. शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
5. **सचिव**, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
6. **कलेक्टर**, जिला.....छत्तीसगढ़।
7. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास, जिला.....छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

छत्तीसगढ़ शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
//नियमावली//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/11/2026

क्रमांक FINACC/9402/2026-OBC&M :::: राज्य शासन एतद् द्वारा वर्ष 2026–27 के मुख्य बजट में नवीन मद अंतर्गत प्रावधानित "CG-Assistance for Competitive Examination (CG-ACE) योजना वर्ष 2026 (अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु निम्नानुसार नियमावली अधिसूचित करता है :–

(1) योजना का नाम :–

इस योजना को "CG-Assistance for Competitive Examination (CG-ACE) योजना वर्ष 2026 (अन्य पिछड़ा वर्ग)" के नाम से संबोधित किया जायेगा।

इस योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के **अन्य पिछड़ा वर्ग** के योग्य अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आई.बी.पी.एस. (बैकिंग सर्विसेस)/रेल्वे/एस.एस.सी./सी.जी.एस.एस.बी. तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु योजना लागू की गई है।

(2) उद्देश्य :–

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किया जाना अभिप्रेत है–

(i) गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की उपलब्धता

लाभार्थियों को UPSC, CGPSC, CGSSB, SSC, Banking, Railway तथा NEET, JEE, CLAT जैसी विभिन्न प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उच्च स्तरीय, मानकीकृत एवं गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप कर सकें।

(ii) समान अवसर सुनिश्चित करना

राज्य के दूरस्थ, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के समान संसाधन, मार्गदर्शन एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध कराते हुए शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को न्यूनतम किया जा सके।

(iii) ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम का समन्वय

अधिकतम विद्यार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाने हेतु ऑफलाइन (आवासीय/गैर–आवासीय) एवं ऑनलाइन (डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित) दोनों माध्यमों के समन्वित मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि भौगोलिक सीमाएँ बाधक न बनें एवं व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

(iv) समग्र शैक्षणिक समर्थन

लाभार्थियों को केवल कोचिंग तक सीमित न रखते हुए अध्ययन सामग्री, टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन अभ्यास, मेंटरशिप, शंका समाधान एवं सतत मार्गदर्शन की समग्र व्यवस्था उपलब्ध कराना, जिससे उनकी तैयारी बहुआयामी एवं सुदृढ़ हो सके।

(v) प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता का विकास

विद्यार्थियों में केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, समय प्रबंधन कौशल एवं जटिल समस्याओं के समाधान की दक्षता विकसित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही, अभ्यर्थियों को परीक्षा उन्मुख रणनीति, उत्तर लेखन कौशल एवं वास्तविक परीक्षा के दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता से भी सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वे किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आत्मविश्वासपूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकें।

(vi) उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना

इस योजना के माध्यम से अभ्यर्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सकें। साथ ही, उन्हें शासकीय, अर्ध–शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर एवं स्थायी अवसर प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता विकसित की जाएगी। इस प्रकार योजना न केवल शैक्षणिक उन्नति बल्कि दीर्घकालिक कैरियर निर्माण एवं आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

(vii) सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त, आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सक्षम बनाना है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता से वे समाज की मुख्यधारा में समान भागीदारी निभाने में सक्षम होंगे। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन स्तर में सुधार होगा तथा सामाजिक समावेशन, आर्थिक उन्नति एवं समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः राज्य के समावेशी विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

(viii) परिणाम आधारित प्रशिक्षण प्रणाली विकसित करना

योजना के अंतर्गत एक ऐसी पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख (Result-Oriented) प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी की प्रगति का नियमित एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत टेस्ट सीरीज, प्रदर्शन विश्लेषण, फीडबैक तंत्र, उत्तर लेखन मूल्यांकन एवं मेंटरशिप के माध्यम से अभ्यर्थियों की तैयारी को सतत रूप से परखा एवं सुधार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं, बल्कि मापनीय परिणाम (Measurable Outcomes) सुनिश्चित करना है, ताकि चयनित अभ्यर्थियों की सफलता दर में निरंतर वृद्धि हो सके। इस प्रकार, यह प्रणाली गुणवत्ता, जवाबदेही एवं प्रभावशीलता पर आधारित होगी, जो योजना के दीर्घकालिक प्रभाव एवं सफलता को सुनिश्चित करेगी।

(3) योजना घटक :–

(अ) इस योजना के 3 घटक, जो निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना के घटक	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	प्रस्तावित सीट	प्रशिक्षण हेतु शहर
क	शिखर (भाग–1) कुल प्रस्तावित सीट– 120	• नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	80	नई दिल्ली
		• नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु भेजने के पूर्व राज्य स्तर पर **फाउण्डेशन कोर्स प्रशिक्षण से चयनित अभ्यर्थी**	40	रायपुर फाउण्डेशन कोर्स
	शिखर (भाग–2) कुल प्रस्तावित सीट–120	• राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	120 (रायपुर–60 बिलासपुर–30 दुर्ग–30)	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग
ख	मंजिल कुल प्रस्तावित सीट–180	• आई.बी.पी.एस. (बैकिंग सर्विसेस)/रेल्वे/ एस.एस.सी./सी. जी.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	**180** (रायपुर–45 बिलासपुर–45 सरगुजा–45, जगदलपुर–45)	रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर,
ग	उड़ान कुल प्रस्तावित सीट– 50	• राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	**50** मेडिकल–25, इंजीनियरिंग–15, विधि– 10	रायपुर

(ब) सीटों का आरक्षण :–

1. उपरोक्त सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
2. दिव्यांगों के लिये प्रत्येक घटक में 02–02 सीट आरक्षित होंगी।
3. महिला/पुरूष अभ्यर्थी की सीट रिक्त होने पर एक–दूसरे के आधिक्य से भरे जा सकेंगे।

योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत योजना के संचालन की कार्य विधि निम्नानुसार है :–

3. (क) CG-ACE -शिखर (भाग–1) नई दिल्ली में प्रशिक्षण हेतु

(1). उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों को छ.ग. राज्य एवं नई दिल्ली में प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

(2). कुल सीटें :–

योजना के घटक शिखर (भाग–1) अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु सीटें निम्नानुसार है :–

घटक का नाम	विवरण	प्रशिक्षण हेतु सीटों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु स्थल (शहर)
शिखर (भाग–1)	• नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	80	नई दिल्ली
	• नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु भेजने के पूर्व राज्य स्तर पर **फाउण्डेशन कोर्स प्रशिक्षण से चयनित अभ्यर्थी**	40	रायपुर फाउण्डेशन कोर्स
	योग	120	

(3). योजना संचालन की विधि, चयन प्रक्रिया, मापदण्ड, अर्हताएँ, प्रशिक्षण अवधि, सुविधाएँ आदि :–

योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु उनकी अर्हताएँ, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएँ, प्रशिक्षण अवधि, भुगतान प्रक्रिया आदि निम्नानुसार होगी :–

(3.1) योजना संचालन की विधिः–

(i) **कोचिंग का मापदण्डः–** इस योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति द्वारा कोचिंग संस्थाओं का मापदण्ड तय कर कोचिंग संस्थाओं का चयन कर विभागाध्यक्ष से इम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) किया जायेगा तथा प्रति प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण शुल्क सहित अन्य नियम एवं शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) **कोचिंग का चयन विद्यार्थी के इच्छानुसारः–** प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार इम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) कोचिंग संस्थाओं में से किसी एक संस्था में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

(iii) **नई दिल्ली में प्रशिक्षण एवं फाउण्डेशन कोर्स का प्रावधानः–** यू.पी.एस.सी. की कोचिंग हेतु नई दिल्ली में भेजने के पूर्व 40 अभ्यर्थियों का प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से चयन कर रायपुर में **10 माह का फाउण्डेशन पाठ्यक्रम** का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से अथवा समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से 40 अभ्यर्थियों में से पात्र/योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नई दिल्ली में आगामी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की जाएगी। चयन समिति पात्र/योग्य अभ्यर्थियों के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड तय कर सकेगी अथवा चयन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकेगी। यह परीक्षा इम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

(iv) बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर भुगतानः– अभ्यर्थियों के कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश उपरान्त बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी। (इसकी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थान की होगी।)

(v) विभागीय छात्रावास की सुविधा न होने पर प्रावधानः– जिन अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें भोजन, आवास आदि के लिये एक निश्चित राशि प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(vi) **मेरिट के आधार पर छात्रावासीय सुविधा होगीः–** विभागीय आवासीय सुविधा/हॉस्टल उपलब्ध होने पर छात्रावासी सुविधा प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के प्राप्तांक से तैयार मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

(vii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।

(3.2) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :–

(i) उपरोक्त घटक **"शिखर (भाग–1)"** में दर्शित सेवा यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी/प्रशिक्षण हेतु 40 सीट फाउण्डेशन कोर्स के लिए तथा नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तैयारी हेतु 80 सीट के लिए प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं तदानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

(ii) प्राक्चयन परीक्षा हेतु विषय एवं पैटर्न, समय–समय पर तत्समय परीक्षा आयोजक संस्था/बोर्ड/एजेंसी द्वारा तय किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर तय किया जायेगा।

(iii) प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन यथासंभव छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से अथवा किसी अन्य शासकीय एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। तथापि, आवश्यकतानुसार आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के अनुमोदन से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली किसी सक्षम एवं विधिवत पंजीकृत निजी संस्था/एजेंसी के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित कराई जा सकेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास द्वारा लिया जाएगा।

(3.3) अभ्यर्थियों की पात्रता हेतु अर्हताएं :–

(i) आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवेदक को सक्षम कार्यालय द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। इस संबंध में आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त की स्थिति में की जायेगी।

(iv) आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस संबंध में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(vi) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आय सीमा **समस्त स्त्रोतों से आय राशि रू. 5.00 लाख से अधिक नहीं** होगी।

(3.4) प्रशिक्षण की अवधि :–

(i) प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से फाउण्डेशन कोर्स हेतु चयनित 40 अभ्यर्थियों को रायपुर में प्रशिक्षण हेतु अवधि अधिकतम **10** माह होगी।

(ii) नई दिल्ली में प्रशिक्षण हेतु प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित 80 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु अवधि अधिकतम 12 माह होगी।

(3.5) नई दिल्ली में प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को देय सुविधायें :–

(अ) "शिखर (भाग–1)" योजनाांतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में किये जाने वाले अभ्यर्थियों को भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाओं हेतु नई दिल्ली में 2 विकल्प उपलब्ध होंगेः–

(i) अभ्यर्थी ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली में आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(ii) अभ्यर्थी स्वयं अपनी इच्छानुसार कोचिंग संस्थानों के निकट आवासीय सुविधा की व्यवस्था कर सकेंगे।

इस हेतु अभ्यर्थियों को देय सुविधाएँ निम्नानुसार होगी :–

क्र.	विवरण	ट्रायबल यूथ हॉस्टल में निवासरत अभ्यर्थियों हेतु		स्वयं अपनी इच्छा अनुरूप आवासीय सुविधा की व्यवस्था करने वाले अभ्यर्थियों हेतु		भुगतान की शर्त/प्रक्रिया
		राशि	प्रति अभ्यर्थी व्यय (वार्षिक)	राशि	प्रति अभ्यर्थी व्यय (वार्षिक)	
1	भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं (12 माह हेतु)	12,000 प्रति माह	1,44,000	–	–	कंडिका 3.5 का iii अनुसार
2	भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाएं (12 माह हेतु)	–	–	15,000 प्रति माह	1,80,000	
3	कोचिंग शुल्क पर होने वाला व्यय (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय, सी सेट का प्रशिक्षण एवं स्टडी मटेरियल)	अंग्रेजी माध्यम हेतु अधिकतम 2.00 लाख एवं हिन्दी माध्यम हेतु अधिकतम 1.5 लाख		अंग्रेजी माध्यम हेतु अधिकतम 2.00 लाख एवं हिन्दी माध्यम हेतु अधिकतम 1.5 लाख		
	प्रति अभ्यर्थी कुल व्यय	अधिकतम व्यय 3.44 लाख (अंग्रेजी माध्यम) एवं 2.94 लाख (हिन्दी माध्यम)		अधिकतम व्यय 3.44 लाख (अंग्रेजी माध्यम) एवं 2.94 लाख (हिन्दी माध्यम)		

विशेष टीप : 1. ट्रायबल यूथ हॉस्टल में आवासीय सुविधा केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होगी।

2. समय–समय पर उक्त राशि में शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) **उपस्थिति आधारित शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्थाः–** चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा इम्पैनल्ड किये गये कोचिंग संस्थाओं में ही प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति बायोमैट्रिक सिस्टम से प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग भुल्क एवं प्रवेश उपरान्त बायोमैट्रिक उपस्थिति से प्राप्त डाटा में 85 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थियों को कोचिंग शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी। उक्त राशि 85 प्रतिशत उपस्थिति पर पूर्ण प्रतिपूर्ति एवं 85 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी, तथा 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विभाग द्वारा कोई भी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रशिक्षार्णी की स्वयं की चिकित्सा/आपातकाल की दशा में गुण दोष के आधार पर प्रशिक्षण अवधि में 15 दिवस तक अवकाश के लिए सहायक आयुक्त/प्रशासकीय अधिकारी, ट्राइबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली सक्षम होंगे तथा 15 दिवस से अधिक एवं अधिकतम 45 दिवस तक अवकाश के लिए कोचिंग संस्था की अनुशंसा तथा जिला के सहायक आयुक्त के परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर सक्षम होंगे।

(iv) **ऐसे अभ्यर्थी जो इस योजना के तहत् ट्राइबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में रहकर कोचिंग प्राप्त कर रहे है/कर चुके है और यदि उनका मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में चयन होता है तो उन्हें ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट उपलब्धता के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु 03 माह एवं साक्षात्कार हेतु 01 माह /साक्षात्कार तिथि तक हॉस्टल में रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी।**

(3.6) "शिखर (भाग–1)" फाउण्डेशन कोर्स हेतु रायपुर में देय सुविधाएँ :–

प्रत्येक चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी शिष्यवृत्ति हेतु राशि रु. 5000/– प्रति माह (10 माह हेतु) तथा पुस्तक/पत्र पत्रिका एवं लेखन सामग्री हेतु राशि रूपये 4000/– एकमुश्त संपूर्ण सत्र हेतु प्रदान की जायेगी ।

(3.7) चयनित संस्था से अनुबंध विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

3 (क) CG-ACE -शिखर (भाग–2) छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु

(1) उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रदेश के 120 चयनित अभ्यर्थियों को रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराना है।

(2) कुल सीटें :–

योजना के घटक शिखर (भाग–2) अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु सीटें निम्नानुसार है :–

घटक का नाम	विवरण	प्रशिक्षण हेतु सीटों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु स्थल (शहर)
शिखर (भाग–2)	• राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	120 (रायपुर–60 बिलासपुर–30 दुर्ग–30)	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग

(3) योजना संचालन की विधि, चयन प्रक्रिया, मापदण्ड, अर्हताएँ, प्रशिक्षण अवधि, सुविधाएँ आदि :–

योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु उनकी अर्हताएँ, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएँ, प्रशिक्षण अवधि, भुगतान प्रक्रिया आदि निम्नानुसार होगी :–

(3.1) योजना संचालन की विधिः–

(i) **कोचिंग का मापदण्डः–** इस योजना अंतर्गत समिति द्वारा कोचिंग संस्थाओं का मापदण्ड तय कर कोचिंग संस्थाओं का चयन कर विभाग से इम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) किया जायेगा तथा प्रति प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण शुल्क सहित अन्य नियम एवं शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) **कोचिंग का चयन विद्यार्थी के इच्छानुसारः–** प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार इम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) कोचिंग संस्थाओं में से किसी एक संस्था में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

(iii) **प्रशिक्षणार्थियों का चयनः–** पी.एस.सी. की कोचिंग हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा इम्पैनल्ड संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जावेगी। प्राक्चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं मेरिट क्रम में प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में से किसी भी कोचिंग संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(iv) **प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय का भुगतानः–** चयनित अभ्यर्थियों हेतु देय प्रशिक्षण शुल्क की राशि बायोमैट्रिक उपस्थिति का डाटा प्राप्त होने पर 80% राशि का भुगतान प्रति तिमाही 25% के मान से 4 चरणों में सीधे कोचिंग संस्थानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भोजन, आवास आदि के लिये कंडिका–3.5 अनुसार एक निश्चित राशि प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जायेगी। यदि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षण का त्याग किया जाता है तो कोचिंग संस्थानों को प्रशिक्षण शुल्क की राशि प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के आधार पर उसी अनुपात में की जाएगी।

शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान निम्न शर्तो के अधीन होगीः–

1. **परीक्षा परिणाम 20 प्रतिशत एवं उससे अधिक होने पर सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि देय होगी।**
2. **परीक्षा परिणाम 15 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 20 प्रतिशत से कम होने पर 15 प्रतिशत की राशि देय होगी।**
3. **परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 15 प्रतिशत से कम होने पर 10 प्रतिशत की राशि देय होगी।**
4. **परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत से कम होने पर सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि कटौती योग्य होगी।**

(v) **छात्रावास में मेरिट अनुसार प्रवेशः–** विभागीय आवासीय सुविधा/हॉस्टल उपलब्ध होने पर प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के प्राप्तांक से तैयार मेरिट सूची के आधार पर छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) **प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जायेगा।**

(3.2) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :–

(i) उपरोक्त घटक **"शिखर"** में दर्शित सेवा पीएससी द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्राक्चयन परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि) आयोजित की जायेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं तदानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

(ii) प्राक्चयन परीक्षा हेतु विषय एवं पैटर्न, समय–समय पर तत्समय परीक्षा आयोजक संस्था/बोर्ड/एजेंसी द्वारा तय किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर तय किया जायेगा।

(iii) प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन यथासंभव छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से अथवा किसी अन्य शासकीय एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। तथापि, आवश्यकतानुसार आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के अनुमोदन से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली किसी सक्षम एवं विधिवत पंजीकृत निजी संस्था/एजेंसी के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित कराई जा सकेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास द्वारा लिया जाएगा।

(3.3) अभ्यर्थियों की पात्रता हेतु अर्हताएं :–

(i) आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवेदक को सक्षम कार्यालय द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। इस संबंध में आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतन आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त की स्थिति में की जायेगी।

(iv) आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस संबंध में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(vi) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आय सीमा **समस्त स्त्रोतों से आय राशि रू. 5.00 लाख से अधिक नहीं** होगी।

(3.4) प्रशिक्षण की अवधि :–

प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित 120 अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 12 माह की होगी।

(3.5) योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को देय अन्य सुविधाएँ :–

चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति हेतु राशि रु. 5000/– प्रति माह (12 माह हेतु) तथा पुस्तक/पत्र पत्रिका एवं लेखन सामग्री हेतु राशि रूपये 4000/– एकमुश्त संपूर्ण सत्र हेतु प्रदान की जायेगी।

(3.6) उपस्थिति आधारित शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्थाः– चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा इम्पैनल्ड किये गये कोचिंग संस्थाओं में ही प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति बायोमैट्रिक सिस्टम से प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग भाुल्क एवं प्रवेश उपरान्त बायोमैट्रिक उपस्थिति से प्राप्त डाटा में 85 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थियों को कोचिंग शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी। उक्त राशि 85 प्रतिशत उपस्थिति पर पूर्ण प्रतिपूर्ति एवं 85 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी, तथा 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विभाग द्वारा कोई भी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रशिक्षार्णी की स्वयं की चिकित्सा/आपातकाल की दशा में गुण दोष के आधार पर प्रशिक्षण अवधि में 15 दिवस तक अवकाश के लिए सहायक आयुक्त/प्रशासकीय अधिकारी, ट्राइबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली सक्षम होंगे तथा 15 दिवस से अधिक एवं अधिकतम 45 दिवस तक अवकाश के लिए कोचिंग संस्था की अनुशंसा तथा जिला के सहायक आयुक्त के परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर सक्षम होंगे।

(3.7) चयनित संस्था से अनुबंध विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।_

3 (ख) CG-ACE - मंजिल (बैंकिग, रेल्वे, SSC आदि प्रशिक्षण हेतु)

(1) उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य **IBPS (Institute of Banking Personnel Selection)/रेल्वे/एस.एस.सी./सी.जी. एस. एस. बी. द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं** की तैयारी हेतु प्रदेश के 180 चयनित अभ्यर्थियों को रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं सरगुजा जिले में प्रशिक्षण तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराना।

(2) कुल सीटें :–

योजना के घटक मंजिल अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु सीटें निम्नानुसार है :–

घटक का नाम	विवरण	प्रशिक्षण हेतु सीटों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु स्थल (शहर)
मंजिल	• आई.बी.पी.एस. (बैकिंग सर्विसेस)/रेल्वे/ एस.एस.सी. /सी.जी.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	180 (रायपुर–45 बिलासपुर–45 सरगुजा–45, जगदलपुर–45))	रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर,

(3) योजना संचालन की विधि, चयन प्रक्रिया, मापदण्ड, अर्हताएँ, प्रशिक्षण अवधि, सुविधाएँ आदि :–

योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु उनकी अर्हताएँ, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएँ, प्रशिक्षण अवधि, भुगतान प्रक्रिया आदि निम्नानुसार होगी :–

(3.1) योजना संचालन की विधिः–

(i) **कोचिंग का मापदण्डः–** इस योजना अंतर्गत समिति द्वारा कोचिंग संस्थाओं का मापदण्ड तय कर कोचिंग संस्थाओं का चयन कर विभाग से इम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) किया जायेगा तथा प्रति प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण शुल्क सहित अन्य नियम एवं शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) **कोचिंग का चयन विद्यार्थी के इच्छानुसारः–** प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार इम्पैन्लड (सूचीबद्ध) कोचिंग संस्थाओं में से किसी एक संस्था में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यदि चयनित संस्था में सीटें भर चुकी हो तो अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में से चयन करना होगा।

(iii) **प्रशिक्षणार्थियों का चयनः–** आई.बी.पी.एस. (बैकिंग सर्विसेस)/रेल्वे/एस.एस.सी./सी.जी.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन संबंधित संभागीय मुख्यालयों में प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा इम्पैनल्ड संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जावेगी। प्राक्चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं मेरिट क्रम में प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में से किसी भी कोचिंग संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(iv) **प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय का भुगतानः–** चयनित अभ्यर्थियों हेतु देय प्रशिक्षण शुल्क की राशि बायोमैट्रिक उपस्थिति का डाटा प्राप्त होने पर 80% राशि का भुगतान 02 किश्तों में (तीन माह के अंतराल में) सीधे प्रशिक्षण संस्थानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कंडिका–3.5 अनुसार एक निश्चित राशि प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(v) **छात्रावास में मेरिट अनुसार प्रवेशः–** विभागीय आवासीय सुविधा/हॉस्टल में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के प्राप्तांक से तैयार मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) चयनित संस्था से अनुबंध विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(vii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।

(3.2) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :–

(i) उपरोक्त घटक **"मंजिल"** में दर्शित संस्थाओं यथा आई.बी.पी.एस. (बैकिंग सर्विसेस)/रेल्वे/एस.एस.सी./सी.जी.एस.एस.बी. एवं समकक्ष द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्राक्चयन परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि) आयोजित की जायेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं तदानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

(ii) प्राक्चयन परीक्षा हेतु विषय एवं पैटर्न, समय–समय पर तत्समय परीक्षा आयोजक संस्था/बोर्ड/एजेंसी द्वारा तय किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर तय किया जायेगा।

(iii) प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन यथासंभव छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से अथवा किसी अन्य शासकीय एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। तथापि, आवश्यकतानुसार आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के अनुमोदन से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली किसी सक्षम एवं विधिवत पंजीकृत निजी संस्था/एजेंसी के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित कराई जा सकेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास द्वारा लिया जाएगा।

(3.3) अभ्यर्थियों की पात्रता हेतु अर्हताएं :–

(i) आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवेदक को सक्षम कार्यालय द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। इस संबंध में आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतन आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त की स्थिति में की जायेगी।

(iv) आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस संबंध में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(vi) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आय सीमा समस्त स्त्रोतों से आय राशि रू. 5.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

(3.4) प्रशिक्षण की अवधि :–

प्रशिक्षण की अवधि 06 माह होगी। प्रत्येक 6 माह के सत्र में 180 अभ्यर्थियों को प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाकर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी, इस प्रकार 1 वर्ष में 180*2=360 अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।

(3.5) योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को देय अन्य सुविधाएँ :–

शासकीय छात्रावास की सुविधा दिये जाने पर शिष्यवृत्ति हेतु राशि रु. 2500/– प्रति माह पात्रता होगी। योजना में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा यदि बाहर किराये का मकान लिया जाता है तो प्रति अभ्यर्थी शिष्यवृत्ति हेतु राशि रुपये 5,000 प्रतिमाह (6 माह हेतु) देय होगा। पुस्तक/पत्र पत्रिका एवं लेखन सामग्री हेतु राशि रूपये 3000/– एकमुश्त संपूर्ण सत्र हेतु सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी। राशि अभ्यर्थियों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से देय होगा। किराये का मकान लिये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3.6) उपस्थिति आधारित शुल्क एंव अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्थाः– चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा इम्पैनल्ड किये गये कोचिंग संस्थाओं में ही प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति बायोमैट्रिक सिस्टम से प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग भाुल्क एवं प्रवेश उपरान्त बायोमैट्रिक उपस्थिति से प्राप्त डाटा में 85 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थियों को कोचिंग शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी। उक्त राशि 85 प्रतिशत उपस्थिति पर पूर्ण प्रतिपूर्ति एवं 85 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी, तथा 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विभाग द्वारा कोई भी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रशिक्षार्णी की स्वयं की चिकित्सा/आपातकाल की दशा में गुण दोष के आधार पर प्रशिक्षण अवधि में 15 दिवस तक अवकाश के लिए सहायक आयुक्त/प्रशासकीय अधिकारी, ट्राइबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली सक्षम होंगे तथा 15 दिवस से अधिक एवं अधिकतम 45 दिवस तक अवकाश के लिए कोचिंग संस्था की अनुशंसा तथा जिला के सहायक आयुक्त के परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर सक्षम होंगे।

3 (ग) CG-ACE - उड़ान (इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु)

(1) उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 चयनित अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना है।

(2) कुल सीटें :–

योजना के घटक उड़ान अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु सीटें निम्नानुसार है :–

घटक का नाम	विवरण	प्रशिक्षण हेतु सीटों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु स्थल (शहर)
उड़ान	• राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से सीधे चयन करने हेतु।	**50** मेडिकल–25, इंजीनियरिंग–15, विधि– 10	रायपुर

(3) योजना संचालन की विधि, चयन प्रक्रिया, मापदण्ड, अर्हताएँ, प्रशिक्षण अवधि, सुविधाएँ आदि :–

योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु उनकी अर्हताएँ, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएँ, प्रशिक्षण अवधि, भुगतान प्रक्रिया आदि निम्नानुसार होगी :–

(3.1) योजना संचालन की विधिः–

(i) इस योजना अंतर्गत कोचिंग संस्थाओं का मापदण्ड तय कर कोचिंग संस्थाओं का चयन कर विभाग से इम्पैन्लड (सूचीबद्ध) किया जायेगा तथा प्रति प्रशिक्षाणार्थी प्रशिक्षण शुल्क सहित अन्य नियम एवं शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार इम्पैन्लड (सूचीबद्ध) कोचिंग संस्थाओं में से किसी एक संस्था में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यदि चयनित संस्था में सीटें भर चुकी हो तो अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में से चयन करना होगा।

(iii) NEET, JEE, CLAT प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन संबंधित संभागीय जिला मुख्यालय रायपुर में प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा इम्पैनल्ड संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जावेगी। प्राक्चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं मेरिट क्रम में प्रशिक्षणार्थियों

का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में से किसी भी कोचिंग संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(iv) चयनित अभ्यर्थियों हेतु देय प्रशिक्षण शुल्क की राशि बायोमैट्रिक उपस्थिति का डाटा प्राप्त होने पर 2 किश्तों में सीधे प्रशिक्षण संस्थानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भोजन, आवास आदि के लिये एक निश्चित राशि प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जायेगी। पुस्तक/पत्र पत्रिका, टेस्ट सिरीस पेपर्स आदि के लिये समिति द्वारा निर्धारित एकमुश्त राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे चयनित प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(v) जिन अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा भोजन एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी उन्हें मेस, आवास आदि के लिये उपरोक्तानुसार निश्चित राशि प्रदान नहीं की जायेगी। विभागीय हॉस्टल में समस्त सुविधायें यथा आवासीय सुविधा (बिस्तर, पलंग, चादर, मच्छरदानी आदि), मेस, बिजली, पानी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, समाचार पत्र जैसी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।

(vi) विभागीय आवासीय सुविधा/हॉस्टल में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के प्राप्तांक से तैयार मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

(vii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।

(3.2) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :–

(i) उपरोक्त घटक **"मंजिल"** में दर्शित NEET, JEE, CLAT प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्राक्चयन परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि) आयोजित की जायेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं तदानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

(ii) प्राक्चयन परीक्षा हेतु विषय एवं पैटर्न, समय–समय पर तत्समय परीक्षा आयोजक संस्था/बोर्ड/एजेंसी द्वारा तय किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर तय किया जायेगा।

(iii) प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन यथासंभव छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से अथवा किसी अन्य शासकीय एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। तथापि, आवश्यकतानुसार आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के अनुमोदन से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली किसी सक्षम एवं विधिवत पंजीकृत निजी संस्था/एजेंसी के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित कराई जा सकेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास द्वारा लिया जाएगा।

(3.3) अभ्यर्थियों की पात्रता हेतु अर्हताएं :–

(i) आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवेदक को सक्षम कार्यालय द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अन्य पिछडा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। इस संबंध में आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए (**NEET, PET, CLAT** में वांछित आयु अनुसार)। न्यूनतन आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त की स्थिति में की जायेगी।

(iv) आवेदक ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा, राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो। इस संबंध में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(v) इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु कक्षा 11वीं एवं 12वीं में क्रमशः गणित (**Physics, Chemistry, Mathematics**)/जीव विज्ञान (**Physics, Chemistry, Biology**) विषय लिया हो।

(vi) विधि संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी विषय में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो।

(vii) अभ्यर्थी किसी अन्य पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत् न हो। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(viii) विधि संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी क्योंकि इन संस्थानों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से करायी जाती है।

(ix) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु **आय सीमा समस्त स्त्रोतों से आय राशि रू. 5.00 लाख से अधिक नहीं** होगी।

(3.4) प्रशिक्षण की अवधि :–

प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित 50 अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 10 माह होगी।

(3.5) योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को देय अन्य सुविधाएँ :–

शासकीय छात्रावास की सुविधा दिये जाने पर शिष्यवृत्ति हेतु राशि रु. 2500/– प्रति माह पात्रता होगी। योजना में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा यदि बाहर किराये का मकान लिया जाता है तो प्रति अभ्यर्थी शिष्यवृत्ति हेतु राशि रुपये 5,000 प्रतिमाह (10 माह हेतु) देय होगा। पुस्तक/पत्र पत्रिका एवं लेखन सामग्री हेतु राशि रूपये 3000/– एकमुश्त संपूर्ण सत्र हेतु सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी। राशि अभ्यर्थियों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से देय होगा। किराये का मकान लिये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। यह राशि कंडिका 3.6 अनुसार देय होगी।

(3.6) उपस्थिति आधारित शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्थाः– चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा इम्पैनल्ड किये गये कोचिंग संस्थाओं में ही प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति बायोमैट्रिक सिस्टम से प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग भुल्क एवं प्रवेश उपरान्त बायोमैट्रिक उपस्थिति से प्राप्त डाटा में 85 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थियों को कोचिंग शुल्क एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी। उक्त राशि 85 प्रतिशत उपस्थिति पर पूर्ण प्रतिपूर्ति एवं 85 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी, तथा 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विभाग द्वारा कोई भी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रशिक्षार्णी की स्वयं की चिकित्सा/आपातकाल की दशा में गुण दोष के आधार पर प्रशिक्षण अवधि में 15 दिवस तक अवकाश के लिए सहायक आयुक्त/प्रशासकीय अधिकारी, ट्राइबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली सक्षम होंगे तथा 15 दिवस से अधिक एवं अधिकतम 45 दिवस तक अवकाश के लिए कोचिंग संस्था की अनुशंसा तथा जिला के सहायक आयुक्त के परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर सक्षम होंगे।

4. उक्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनांतर्गत निहित शर्तों/प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान सभी योजनाएं कंडिका–3 (क, ख, ग) के लिये समान रूप से लागू होंगे :–

4.1 कोचिंग संस्था के चयन हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' तैयार करना, कोचिंग संस्था के इम्पैनलमेंट, अधिकतम प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण, संस्था चयन तथा अभ्यर्थियों की चयन एवं इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समितिः–

उपरोक्त वर्णित योजनांतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय निर्देशों, भण्डार क्रय नियम एवं अन्य संबंधित नियमों का पालन करते हुये निम्नांकित चयन समिति गठित की जाएगी :–

i. आयुक्त, आ.जा. अनु.जा. वि. तथा पि.व.एवं अल्प. वि. – अध्यक्ष
ii. संयुक्त सचिव/उप सचिव, पि.व. एवं अ.वि.वि. मंत्रालय – सदस्य
iii. उपायुक्त (प्रशासन/योजना), आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – सदस्य
iv. वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक (वित्त), आ.जा. तथा अनु.जा. वि. – सदस्य
v. अपर संचालक, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास मुख्यालय – सदस्य
vi. योजना प्रभारी अधिकारी, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास मुख्यालय – सदस्य सचिव
vii. आयुक्त द्वारा नामांकित 02 सदस्य (आवश्यकता होने पर) – सदस्य

4.2 रूचि की अभिव्यक्ति एवं मानकों का विवरण :– ''रूचि की अभिव्यक्ति'' हेतु फार्म एवं अन्य संबंधित अभिलेख आयुक्त, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसख्यक विकास द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें निजी कोंचिग संस्थानों के लिए निम्नांकित मानकों का उल्लेख होगा :–

(i) कोंचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज़ एक्ट 1956/ कम्पनीज़ एक्त 2013 सेक्शन 8/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मान्य एक्ट में पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत होने पर अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(ii) संस्था का वैध/मान्य पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।

(iii) पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट से विगत 3 वर्षों की आडिट रिपोर्ट होनी चाहिए।

(iv) कोचिंग संस्था/फर्म/कम्पनी का कोचिंग संबंधी कार्यों का सकल टर्न ओव्हर न्यूनतम राशि रूपये 50.00 लाख रूपये वार्षिक होना चाहिए।

(v) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोचिंग संस्था के पास निम्नांकित न्यूनतम अधोसंरचना होनी चाहिएः–

क्र.	अधोसंरचना का प्रकार	सुविधाओं का विवरण
1	प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन, फर्नीचर एवं अन्य अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाएँ	1. भवन संस्था/फर्म के स्वामित्व का हो अथवा किराये का हो। यदि किराये का भवन है तो किराये का विधिपूर्वक अनुबंध निष्पादित किया होना चाहिए एवं कोचिंग संस्था आवासीय परिसर से पृथक व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। 2. प्रशिक्षण केंद्र (भवन) का कारपेट एरिया न्यूनतम 3000 वर्ग फीट होना चाहिए। 3. न्यूनतम 02 डिजीटल सुविधायुक्त स्मार्ट क्लास रूम होना चाहिए। प्रत्येक की क्षमता कम से कम 50 विद्यार्थियों की होनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर (टेबल, कुर्सी आदि) सुविधाजनक तरीके से स्थापित होना चाहिए। 4. कोचिंग संस्था में सुव्यवस्थित पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए जहाँ कम से कम 50 विद्यार्थी एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकें। 5. विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्था में नवीनतम संस्करण के कम से कम 10 कम्प्यूटर चालू हालत में स्थापित होने चाहिए। 6. कोचिंग संस्था के पास प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुरूप पार्किंग का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। 7. भवन में महिला एवं पुरूष के लिए कम से कम पृथक–पृथक 02–02 वॉशरूम होना चाहिए। 8. भवन में शुद्ध पेयजल के लिए आर.ओ. वाटर की व्यवस्था होना चाहिए। 9. प्रशिक्षण केन्द्र हवादार एवं प्रकाशयुक्त होना चाहिए। 10. प्रशिक्षण केन्द्र वातानुकूलित होना चाहिए। 11. प्रशिक्षण कक्ष साफ–सुथरा होना चाहिए।
2	शैक्षणिक स्टॉफ	1. कोचिंग संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रत्येक विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है। विषय विशेषज्ञ संबंधित विषय में कम से कम मास्टर्स डिग्रीधारी होने चाहिए तथा कम से कम 5 वर्षों के प्रशिक्षण देने का अनुभव होना चाहिए।
3	कार्यालयीन स्टॉफ	1. कोचिंग संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित हाना चाहिए, जिसमें 02 कर्मचारी (01 महिला और 01 पुरूष) नियुक्त होना चाहिए। 2. कोचिंग संस्था में साफ–सफाई व्यवस्था हेतु पर्याप्त स्टॉफ होना चाहिए। 3. मेडिकल इमरजेंसी के लिए तत्कालिक दवाइयाँ एवं अनुबंधित चिकित्सक भी होना चाहिए।
4	सुरक्षा व्यवस्था	1. 50 विद्यार्थियों के मान से 02 सुरक्षा गार्ड (01 पुरूष एवं 01 महिला) होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के कोचिंग में प्रवेश लेने पर न्यूनतम एक महिला गार्ड होना अनिवार्य है। 2. कोचिंग संस्था में क्षेत्रफल के अनुसार पर्याप्त सी.सी.टी.वी. कैमरा चालू हालत में स्थापित होना चाहिए। कैमरे का एक्सेस संबंधित प्रशासकीय अधिकारी/विभागीय जिला प्रभारी अधिकारी को होना चाहिए ताकि सतत् निगरानी की जा सके। 3. आपात स्थिति से निपटने हेतु कोचिंग संस्था में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।
5	अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ	1. कोचिंग संस्था में न्यूनतम 200 Mbps के वाई–फाई इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। 2. कोचिंग संस्थानों में कम से कम 5KVA का विद्युत व्यवस्था का विकल्प जैसेः– जनरेटर/इनवर्टर/सौर उर्जा स्थापित होना चाहिए।

(vi) विगत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम एवं सफलता का प्रतिशत।

(vii) फैकल्टी का संपूर्ण विवरण– व्यक्तिगत, शैक्षणिक, अनुभव, वर्तमान निवास आदि।

इसके अतिरिक्त मानकों का निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संबंधित वर्ष में प्रकाशित ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में किया जायेगा।

4.3 कोचिंग संस्था से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्याकन :–

प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन **QCBS (Quality Cum Cost Based Selection)** पद्धति से उपरोक्तानुसार गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन हेतु 70 प्रतिशत वेटेज तथा मूल्य/दर के लिए 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर संयुक्त मूल्यांकन में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओं का इम्पैनलमेंट किया जायेगा।

4.4 कोचिंग संस्था का इम्पैनलमेंट तथा कोचिंग शुल्क का निर्धारण एवं कार्य आंबटन :–

(i) **कोचिंग संस्था का इम्पैनलमेंट :–** कोचिंग संस्थाओं के संपूर्ण मूल्यांकन के पश्चात् समिति की अनुशंसा पर कोचिंग संस्थाओं का इम्पैनलमेंट (सूचीबद्ध) किया जाएगा। जिसका अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ii) **इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं का शुल्क निर्धारणः–**समिति द्वारा प्रत्येक कोचिंग संस्था के लिए अधिकतम दर निर्धारित की जाएगी, जिसका उल्लेख ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में किया जाएगा।

(iii) **इम्पैनलमेंट की अवधि :–** कोचिंग संस्थाओं को **दो वर्ष** के लिये इम्पैनल किया जायेगा तथा इस अवधि में कोचिंग संस्था द्वारा **अनुबंधित प्रशिक्षण दर** पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देना होगा।

(iv) **कोचिंग शुल्क का भुगतान :–** कोचिंग संस्था को अनुबंध के आधार पर प्रति 03 माह में विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान नियमानुसार GST, TDS एवं अन्य प्रभावशील कर की कटौती उपरांत किया जाएगा। यह भुगतान निर्धारित शुल्क का **80 प्रतिशत** होगा, शेष **20 प्रतिशत** कोचिंग शुल्क का भुगतान कोचिंग अवधि समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थियों के संपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान टेस्ट पेपर में प्राप्त उपलब्धि/संबंधित परीक्षा में अंतिम उपलब्धि के आधार पर एवं कोचिंग संस्था द्वारा प्रदान किये गये सुविधाओं एवं अध्यापन कार्य के समर्पण के आधार पर जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन पर राज्य स्तरीय समिति के मूल्यांकन के पश्चात् किया जायेगा।

(v) **अनुबंध की समाप्ति :–**निर्धारित इम्पैनलमेंट अवधि के दौरान यदि संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है या अनुबंध अनुसार सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संस्था का इम्पैनलमेंट समाप्त किया जा सकेगा एवं कोचिंग संस्था द्वारा बीच में प्रशिक्षण बंद कर देने की स्थिति में भुगतान की गयी राशि अनुपातिक रूप से वसूल की जा सकेगी। यदि कोचिंग संस्था खुद से इम्पैनलमेंट समाप्त करना चाहे तो एक माह के नोटिस पर अथवा एक माह के प्रशिक्षण शुल्क (कुल प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी X प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की दर) की अदाएगी पर इम्पैनलमैंट समाप्त कर सकेगी।

(vi) **अनुबंध में वृद्धि :–**विशिष्ट परिस्थिति में संस्थाओं का इम्पैनलमेंट अधिकतम एक वर्ष/सत्र हेतु और बढ़ाया जा सकेगा, तद्उपरांत नये प्रस्ताव आंमत्रित किये जायेंगे। इस हेतु आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के सक्षम प्राधिकारी होंगे। कोचिंग संस्थाओं से अनुबंध विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा संपादित किया जायेगा।

4.5 <u>कोचिंग संस्था का दायित्त्व :–</u>

(i) प्रवेशित अभ्यर्थियों को योजनांतर्गत समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परिणामोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) प्रवेशित अभ्यर्थियों का टेस्ट सीरिज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।

(iii) कोचिंग संस्था में अभ्यर्थियों के बौद्धिक विकास हेतु समय–समय पर प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(iv) प्रति तिमाही विद्यार्थियों के प्रगति प्रतिवेदन से मुख्यालय को अवगत करना। इस हेतु फार्मेट मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम में अभ्यर्थियों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना।

(vi) कोचिंग संस्थाओं में अभ्यर्थियों को अनुबंध अनुरूप आधारभूत सुविधा प्रदान करना।

(vii) कोचिंग संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा इसकी जानकारी विभाग को प्रदान करना। अनियमित उपस्थिति वाले अभ्यर्थियों की कोचिंग फीस प्रदाय नहीं की जायेगी। यदि अभ्यर्थी एक दिवस में एक कक्षा में उपस्थित होकर बाकी की कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है, तो इसे भी अनियमित उपस्थिति की श्रेणी में गिना जाएगा व उस प्रशिक्षणार्थी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(viii) प्रशिक्षण हेतु अनुभवी एवं दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

टीपः–कोचिंग संस्थाओं द्वारा गुणवत्ता में कमी एवं रूचि की अभिव्यक्ति के प्रावधान एवं अनुबंध के प्रावधान अनुसार कार्य न करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

4.6 कोचिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों के दायित्व :–

i. अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान के अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन न करने पर कोचिंग संस्था से रिपोर्ट के आधार पर जांच उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसका कोचिंग में प्रवेश प्रतिबंधित किया जायेगा।

ii. अभ्यर्थियों को कोचिंग में अपनी उपस्थिति नियमित रखनी होगी।

iii. लगातार 01 माह से अनुपस्थित अभ्यर्थियों को कोचिंग से पृथक किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में विभागीय आयुक्त/संचालक निर्णय ले सकेंगे।

iv. आवासीय व्यवस्था अंतर्गत अभ्यर्थियों को नियमों का पालन करना होगा तथा अनुशासन में रहना होगा।

4.7 विभागीय के जिलाधिकारी, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी/सहायक आयुक्त, ट्रायबल यूथ हॉस्टल के प्रभारी अधिकारी/संभागीय जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त के दायित्व :–

1. उपर्युक्त अधिकारीगण उनके अधीन/प्रभार में संचालित प्रशिक्षण के नियमानुसार संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा जिला स्तर पर कलेक्टर के अध्यक्षता में प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी। समिति में जिला कलेक्टर के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, रोजगार अधिकारी, कोषालय अधिकारी, सहायक आयुक्त/अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रहेंगे।
2. अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु नियमित निरीक्षण करेंगे एवं आवश्यकतानुसार नवाचार करेंगे।

3. प्रशिक्षण के क्रियाकलापों के लिए वरिष्ठ कार्यालयों/विभाग से समन्वय स्थापित करेंगे तथा प्रति माह 5 तारीख से पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
4. प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी का बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित करेंगे तथा इसके आधार पर अभ्यर्थियों की नियमित उपस्थिति नहीं पाए जाने पर मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।
5. समय–समय पर प्रशिक्षण केन्द्र में अभ्यर्थियों के साथ विचार–विमर्श एवं चर्चा कर उनकी प्रगति एवं समस्याओं से अवगत होंगे तथा कोचिंग संस्था से समन्वय कर उनका निराकरण करायेंगे।
6. आवासीय प्रशिक्षण स्थल पर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।
7. उपर्युक्त अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे अपने अधीनस्थ स्टॉफ, छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारी को निर्देशित कर अभ्यर्थियों के आवास स्थल/छात्रावास तथा कोचिंग संस्था में प्रतिदिन जाकर उनकी शैक्षणिक प्रगति एवं स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त कर अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन का विधिवत् रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को प्रत्येक माह के 05 तारीख तक भेजेंगे।
8. योजना के प्रभारी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी/विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे योजनांतर्गत लाभान्वित अभ्यर्थियों का उनके प्रशिक्षण उपरांत 3 वर्ष तक निगरानी रखेंगे। यदि प्रशिक्षणार्थी किसी सेवा में सफल होते हैं तो उक्त अधिकारीगण मुख्यालय को इस बाबत् सूचित करेंगे।
9. उपरोक्त अधिकारी समय–समय पर सौंपे गए अन्य दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

4.8 योजना की मॉनीटरिंग :–

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत् मॉनीटरिंग एवं अन्य आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने हेतु एक छह सदस्यीय राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जायेगी। यह समिति योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। समिति का स्वरूप इस प्रकार होगाः–

i.	भारसाधक प्रमुख सचिव/सचिव, पि.व. एवं अ.वि. विभाग	– अध्यक्ष
ii.	आयुक्त, आ.जा.अनु.जा.वि.तथा पि.व.एवं अ. विकास	– सदस्य
iii.	अपर संचालक/उपायुक्त (प्रशासन/योजना)	– सदस्य
iv.	वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक (वित्त)	– सदस्य
v.	योजना प्रभारी अधिकारी	– सदस्य/सचिव
vi.	प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामांकित विशेष आमंत्रित सदस्य	– सदस्य

इस समिति की बैठक वर्ष में 04 बार आयोजित होगी।

4.9 विवादों का निपटारा :–

योजनांतर्गत प्रशिक्षण/कोचिंग संचालन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कोचिंग संस्था के संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत/नामित व्यक्ति के साथ विभाग की ओर से निगरानी समिति की बैठक आयोजित कर विवाद का शांतिपूर्ण एवं स्वीकार्य हल निकाला जाएगा। वार्ता असफल होने पर सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसख्यक विकास महानदी भवन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तथापि यदि किसी कोचिंग संस्था द्वारा विभाग के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जाता है, तो उसका क्षेत्राधिकार जिला रायपुर की सीमांतर्गत होगा।

4.10 मिथ्या जानकारी प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करने तथा अनुशासनहीनता पर कार्यवाही :–

यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर शासन से योजनांतर्गत राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में विधिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी जिसके अंतर्गत भुगतान की गई राशि भी राजस्व प्रकरण की तरह वसूल की जा सकेगी। अभ्यर्थी की अनुशासनहीनता तथा कदाचार पाये जाने पर चालू सत्र में ही कोचिंग/प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसख्यक विकास का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

4.11 <u>योजना पर होने वाला व्यय</u> :–

योजना पर होने वाला व्यय मांग संख्या 66 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0102 अन्य पिछड़ा वर्ग उपयोजना–8513 सी.जी. असिस्टेंस फॉर काम्पेटिटिव एग्जामिनेशन योजना अंतर्गत विकलनीय होगा।

4.12 <u>नियमों का विवेचन :–</u>

i. इस योजना के प्रभावशील होने की तिथि से पूर्व में लागू योजना (राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019) अंतर्गत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुबंधित संस्थाएं निर्धारित अनुबंधित अवधि तक अनुबंध के अनुरूप संचालित होती रहेंगी।

ii. इन नियमों में उल्लेखित प्रावधान के बारे में संशोधन/परिवर्तन एवं विवेचना का अधिकार छ. ग. शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसख्यक विकास विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

Digitally signed by
KRISHNA PRASAD NETAM
Date: 03-11-2026
13:16:02

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
विकास विभाग